मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 30 अक्टूबर 1973

क्र. 2052-28 2-चार-नि-3-73.—मध्यप्रदेश स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1973 (क्रमांक 43 सन् 1973) जो "मध्यप्रदेश राजपत्र" (असाधारण) में, दिनांक 1 अक्टूबर 1973 को प्रकाशित किया जा चुका है, की धारा 1 (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम को दिनांक 1 नवम्बर 1973 से लागू करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

समर सरकार,
विशेष सचिव, वित्त.

Scanned by CamScanner

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक 43 सन् 1973

मध्यप्रदेश स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, १९७३

विषय-सूची

धाराएं :

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ 1
2. परिभाषाएं 2
3. संपरीक्षा प्राधिकारियों तथा अन्य अधिकारियों की नियुक्ति 3
4. संपरीक्षा के लिये लेखाओं का प्रस्तुत किया जाना तथा संपरीक्षा फीस का भुगतान .. 3
5. संपरीक्षा के लिये लेखाओं के प्रस्तुत किये जाने की कालावधि 4
6. दस्तावेजों की प्रस्तुति तथा संबंधित व्यक्तियों की हाजिरी अपेक्षित करने की संपरीक्षक की शक्ति 4
7. धारा 6 के अधीन की गई अध्यपेक्षा की अवज्ञा करने के लिये शास्ति 5
8. संपरीक्षा-रिपोर्ट संबंधित स्थानीय प्राधिकारी और कतिपय अधिकारियों तथा निकायों को भेजी जायंगी. 5
9. संपरीक्षा-रिपोर्ट की विषय वस्तु 6
10. स्थानीय प्राधिकारी त्रुटियों को दूर करेगा. धारा 8 के अधीन संचालक की रिपोर्ट के पश्चात् अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया. 6 से 9
11. संचालक अवैध संदाय के लिये या चोर उपेक्षा या उपचार द्वारा कारित हानि के लिये प्रभारित करेगा तथा प्रभार का स्थानीय प्राधिकारी की प्रशासन-रिपोर्ट में समाविष्ट किया जाना. 10
12. प्रथम अपील 11
13. द्वितीय अपील 11
14. वसूली रोकने का निर्देश देने की शक्ति 12
15. प्रभारों की भू-राजस्व के बकाया की भांति वसूली 12
16. प्रभारों आदि का भुगतान 12
17. शक्तियों का प्रत्यायोजन 12
18. संचालक, संपरीक्षक आदि लोक सेवक होंगे 12
19. वादों का वर्जन 13
20. सद्भावपूर्वक किये गये कार्यों के लिये संरक्षण 13
21. इस अधिनियम को अन्य निगमित निकायों तथा अनिगमित निकायों पर लागू करने की शक्ति 13
22. नियम बनाने की शक्ति 14
23. निरसन 14

अनुसूची 15-16

परिशिष्ट

Scanned by CamScanner

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक 43 सन् 1973

मध्यप्रदेश स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, १९७३

[राज्यपाल की अनुमति दिनांक 25 सितम्बर 1973 को प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र" (असाधारण) में, दिनांक 1 अक्टूबर 1973 को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश राज्य में स्थानीय प्राधिकारियों के प्रबन्ध या नियंत्रण के अधीन की स्थानीय निधियों के लिये तथा कतिपय अन्य निगमित तथा अनिगमित निकायों की निधियों के लिये उपबन्ध करने और उपस्थानीय निधियों तथा निधियों के संपरीक्षा का विनियमन करने के हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के चौबीसवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ.

1. (1) यह अधिनियम मध्यप्रदेश स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1973 कहा जा सकेगा.

(2) इसका विस्तार संपूर्ण मध्यप्रदेश पर है.

(3) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे.

परिभाषाएं.

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "संपरीक्षा" के अन्तर्गत आते हैं विस्तृत संपरीक्षा, विशेष संपरीक्षा, स्थानिक संपरीक्षा (Resident Audit) तथा ऐसी अन्य संपरीक्षा जिसे कि राज्य सरकार समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे;

(ख) "संपरीक्षक" से अभिप्रेत है, संचालक तथा उसके अन्तर्गत वे समस्त अन्य अधिकारी आते हैं जो धारा 3 के अधीन इस प्रयोजन से नियुक्त किये गये हों कि वे उसकी सहायता करेंगे;

(ग) "विस्तृत संपरीक्षा" से अभिप्रेत है, संपूर्ण वर्ष के लेखाओं की संपरीक्षा;

(घ) "संचालक" से अभिप्रेत है, धारा 3 के अधीन नियुक्त किया गया संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा तथा उसके अन्तर्गत कोई ऐसा अधिकारी आता है, जिसे उक्त धारा की उपधारा (4) के अधीन संचालक की शक्तियां प्रदत्त की गई हों;

(ङ) "स्थानीय प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, कोई नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद्, अधिसूचित क्षेत्र समिति, नगर सुधार न्यास (ग्राम पंचायत), जनपद पंचायत, जिला पंचायत, कृषि उपज-मण्डी समिति या कोई अन्य प्राधिकारी जो किसी नगरपालिका या स्थानीय निधि के नियंत्रण या प्रबंध का वैध रूप से हकदार हो, या जिसे ऐसा नियंत्रण या प्रबन्ध राज्य सरकार द्वारा सौंपा गया हो;

(च) "स्थानीय निधि" से अभिप्रेत है, कोई ऐसी निधि जिसके नियंत्रण तथा प्रबन्ध के लिये कोई स्थानीय प्राधिकारी वैध रूप से हकदार हो और उसके अन्तर्गत किसी ऐसे उपकर रेट, शुल्क या कर जिन्हें अधिरोपित करने के लिये ऐसा प्राधिकारी वैध रूप से हकदार हो, के आगम तथा ऐसे प्राधिकारी में निहित कोई संपत्ति आती है/आते हैं;

(छ) "प्रधान अधिकारी" से अभिप्रेत है :—

(एक) नगरपालिक निगम के मामले में, नगरपालिक आयुक्त;

(दो) नगरपालिका परिषद् या अधिसूचित क्षेत्र समिति के मामले में, अध्यक्ष;

(तीन) नगर सुधार न्यास के मामले में, सभापति;

(चार) ग्राम पंचायत के मामले में, सरपंच;

Scanned by CamScanner

yadav 428853

(पांच) जनपद पंचायत के मामले में, अध्यक्ष;

(छः) जिला पंचायत के मामले में, सभापति;

(सात) कृषि उपज मण्डी समिति के मामले में, अध्यक्ष; और

(आठ) किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी के मामले में, उसका ऐसा पदाधिकारी या अधिकारी जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट करें.

(ज) "विशेष संपरीक्षा" से अभिप्रेत है, किसी विनिर्दिष्ट मद या मदों के क्रमिक समूह से सम्बन्धित ऐसे लेखाओं की, जिनकी कि पूर्ण परीक्षा की जाना अपेक्षित है, संपरीक्षा;

(झ) "स्थानिक संपरीक्षा" से अभिप्रेत है, व्यय की संवीक्षा या पूर्व संपरीक्षा तथा प्राप्तियों का पुनर्विलोकन.

3. (1) किसी व्यक्ति को संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा नियुक्त किया जा सकेगा और उसकी सहायता के लिये निम्नलिखित प्रवर्ग के अधिकारी नियुक्त किये जा सकेंगे, अर्थात् :— संपरीक्षा प्राधिकारियों तथा अन्य अधिकारियों की नियुक्ति.

(क) उप-संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा;

(ख) सहायक संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा;

(ग) ज्येष्ठ संपरीक्षक, स्थानीय निधि संपरीक्षा; और

(घ) सहायक संपरीक्षक, स्थानीय निधि संपरीक्षा.

(2) संचालक, उप-संचालक तथा सहायक संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे और उपधारा (1) में निर्दिष्ट किये गये अन्य अधिकारी राज्य सरकार द्वारा या ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जिसे कि वह (राज्य सरकार) निर्देश दे, नियुक्त किये जायेंगे.

(3) उपधारा (2) के अधीन नियुक्त किया गया व्यक्ति, ऐसे क्षेत्रों के भीतर जिन्हें कि नियुक्ति प्राधिकारी विनिर्दिष्ट करें, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेगा जो कि इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसको प्रदत्त की जाय या उस पर अधिरोपित किये जायं.

(4) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, धारा 8, 9, 10 तथा 11 के अधीन संचालक की समस्त शक्तियां या उनमें से कोई भी शक्ति स्थानीय निधि संपरीक्षा के सहायक संचालक के पद श्रेणी से अनिम्न पद श्रेणी के किसी अधिकारी को ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों के साथ प्रदत्त कर सकेगी जो कि ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाय.

4. (1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, यह घोषित कर सकेगी कि ऐसे स्थानीय प्राधिकारी के, जो कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाय, लेखें इस अधिनियम के अधीन संपरीक्षा के अध्यधीन होंगे. संपरीक्षा के लिये लेखाओं का प्रस्तुत किया जाना तथा संपरीक्षा फीस का भुगतान.

(2) उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना के जारी हो जाने पर उसमें विनिर्दिष्ट किये गये स्थानीय प्राधिकारी के लेखे, किसी ऐसी अधिनियमिति में जिसके द्वारा ऐसा स्थानीय प्राधिकारी गठित किया गया हो, या उसके (उस अधिनियमिति के) अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन उपबंधित की गई रीति में सभी दृष्टियों से संपरीक्षा के अध्यधीन होंगे.

(3) स्थानीय प्राधिकारी ऐसी संपरीक्षा फीस का भुगतान करने के दायित्वाधीन होगा जैसी कि राज्य सरकार समय-समय पर, उस सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट करे.

5. ऐसे स्थानीय प्राधिकारी का, जिसके लेखाओं के सम्बन्ध में धारा 4 के अधीन यह घोषित किया गया हो कि वे इस अधिनियम के अधीन संपरीक्षा के अध्यधीन हैं, प्रधान अधिकारी अपनी स्थानीय निधियों के समस्त लेखे ऐसे प्ररूप तथा रीति में, जैसा कि विहित किया जाय, प्रतिवर्ष या ऐसी कालावधियों पर, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित किया जाय, संपरीक्षक को संपरीक्षा के लिये प्रस्तुत करेगा या करवायेगा. संपरीक्षा के लिये लेखाओं के प्रस्तुत किये जाने की कालावधि.

6. (1) इस अधिनियम के अधीन किसी संपरीक्षा के प्रयोजन के लिये संपरीक्षक— दस्तावेजों की प्रस्तुति तथा संबंधित व्यक्तियों की हाजिरी अपेक्षित करने की संपरीक्षक की शक्ति.

(क) लिखित में यह अपेक्षा कर सकेगा कि लेखाओं के संबंध में ऐसे वाउचर, विवरण, विवरिणी, पत्र-व्यवहार, टिप्पण या कोई अन्य दस्तावेज, जिन्हें कि वह उचित समझे, स्थानीय प्राधिकारी के प्रधान कार्यालय में पेश किये जायं;

Scanned by CamScanner

(ख) (एक) स्थानीय प्राधिकारी के किसी ऐसे वैतनिक सेवक से, जो ऐसे वाउचरों, विवरणों, विवरणियों, पत्र-व्यवहारों, टिप्पणों या अन्य दस्तावेजों के लिये उत्तरदायी हो या जिसकी अभिरक्षा या नियंत्रण में ऐसे वाउचर, विवरण, विवरणियां, पत्र-व्यवहार, टिप्पण या अन्य दस्तावेज हों, लिखित में यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह स्वयं उपसंजात हो तथा किसी प्रश्न का उत्तर दे, या

(दो) किसी ऐसे व्यक्ति से, जो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः स्वयं या अपने भागीदार द्वारा स्थानीय प्राधिकारी के साथ या उसके अधीन की गई किसी संविदा में कोई अंश या हित रखता हो, लिखित में यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह स्थानीय प्राधिकारी के प्रधान कार्यालय में उसके समक्ष स्वयं या किसी प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा उपसंजात हो तथा किसी प्रश्न का उत्तर दे;

(ग) स्थानीय प्राधिकारी के प्रधान अधिकारी से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसे स्थानीय प्राधिकारी के प्रधान कार्यालय में उससे (संपरीक्षक से) मिले, तथा उस बिन्दु को लिखित में विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिस पर उसका (उक्त प्रधान अधिकारी का) स्पष्टीकरण अपेक्षित हो।

(2) संपरीक्षक, उपधारा (1) के अधीन की गई किसी अध्यपेक्षा या किये गये किसी आमंत्रण में एक युक्तियुक्त कालावधि, जो तीन दिन से कम की नहीं होगी, नियत कर सकेगा जिसके कि भीतर ऐसी अध्यपेक्षा या आमंत्रण का अनुपालन किया जायगा।

(3) संपरीक्षक स्थानीय प्राधिकारी को उस तारीख को, जिसकी कि वह संपरीक्षा प्रारंभ करना प्रस्थापित करे, कम से कम दो सप्ताह की लिखित सूचना देगा :

परन्तु संपरीक्षक, स्वप्रेरणा से, ऐसे कारणों से जो लिखित में अभिलिखित किये जायेंगे, अल्प सूचना देकर या कोई सूचना दिये बिना ही संपरीक्षा प्रारंभ कर सकेगा तथा वह राज्य सरकार का निर्देश हो जाने पर ऐसे कारणों से जो लिखित में अभिलिखित किये जायेंगे, अल्प सूचना देकर या कोई सूचना दिये बिना ही संपरीक्षा प्रारम्भ करेगा।

धारा 6 के अधीन की गई अध्यपेक्षा की अवज्ञा करने के लिये शास्ति।

7. (1) कोई भी व्यक्ति, जो धारा 6 की उपधारा (1) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन उससे विधिपूर्वक की गई किसी अध्यपेक्षा का अनुपालन करने में जानबूझकर उपेक्षा करेगा या उस अध्यपेक्षा का अनुपालन करने से जानबूझकर इंकार करेगा किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष दोषसिद्धि पर ऐसे जुर्माने के दायित्वाधीन होगा जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा।

(2) इस धारा के अधीन कोई भी कार्यवाही संचालक की लिखित मंजूरी के बिना संस्थित नहीं की जायगी।

(3) उपधारा (2) के अधीन ऐसी मंजूरी देने के पूर्व, संचालक उस व्यक्ति से, जिसके विरुद्ध कार्यवाही संस्थित की जाना है, यह अपेक्षा करेगा कि वह यह हेतुक दर्शाये कि ऐसी मंजूरी क्यों न दे दी जाय।

(4) प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्न वर्ग का कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के विरुद्ध किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

संपरीक्षा-रिपोर्ट संबंधित स्थानीय प्राधिकारी और कतिपय अधिकारियों तथा निकायों को भेजी जायगी।

8. संपरीक्षा के पूर्ण होने के पश्चात् यथासाध्य शीघ्रता से, किन्तु उसके बाद तीन माह से अधिक पश्चात् नहीं, संचालक उन लेखाओं के संबंध में, जिनकी कि संपरीक्षा तथा परीक्षा की गई हो, एक रिपोर्ट तैयार करेगा और ऐसी रिपोर्ट संबंधित स्थानीय प्राधिकारी को भेजेगा और उसकी प्रतिलिपियां ऐसे अधिकारियों तथा निकायों को भेजेगा जिनके कि संबंध में राज्य सरकार इस बारे में निर्देश दे।

संपरीक्षा-रिपोर्ट की विषय-वस्तु।

9. संचालक अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित का विवरण सम्मिलित करेगा:—

(क) ऐसा प्रत्येक संदाय जो उसे विधि के प्रतिकूल प्रतीत होता हो;

(ख) किसी ऐसी कमी या हानि की, जिसके कि संबंध में यह प्रतीत होता हो कि वह किसी व्यक्ति की घोर उपेक्षा या अपचार के कारण कारित हुई है, रकम;

(ग) किसी धनराशि की ऐसी रकम जो लेखे में लाई जानी चाहिये थी किन्तु किसी व्यक्ति द्वारा लेखे में नहीं लाई गई हो; और

(घ) उपर्युक्त खण्ड (क), (ख) तथा (ग) में वर्णित से भिन्न कोई अन्य सारवान् अनौचित्य या अनियमितता, कपट या दुर्विनियोग जिसे वह लेखाओं में देखे।

Scanned by CamScanner

10. (1) धारा 8 के अधीन रिपोर्ट प्राप्त होने के पैंतालीस दिन के भीतर स्थानीय प्राधिकारी का प्रधान अधिकारी—

स्थानीय प्राधिकारी त्रुटियों को दूर करेगा.

धारा 8 के अधीन संचालक की रिपोर्ट के पश्चात् अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया.

(क) उस रिपोर्ट में बतलाई गई ऐसी त्रुटियों या अनियमितताओं को छांटेगा या छंटवाएगा—

(एक) जिन्हें वह या कार्यपालिक अधिकारी स्थानीय प्राधिकारी को निर्दिष्ट किये बिना ही दूर करने के लिये सक्षम हो;

(दो) जिन्हें दूर करने के लिये स्थानीय प्राधिकारी ही सक्षम हो;

(ख) स्थानीय प्राधिकारी से संबंधित विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उस रिपोर्ट पर विचार करने के लिये स्थानीय प्राधिकारी का एक विशेष सम्मिलन बुलायेगा, जो सम्मिलन स्थानीय प्राधिकारी से संबंधित विधि के प्रयोजनों के लिये एक ऐसा विशेष सम्मिलन समझा जायेगा जो उक्त विधि के अधीन संयोजित किया गया हो; और

(ग) स्थानीय प्राधिकारी के उस विशेष सम्मिलन के, जो कि खण्ड (ख) के अधीन बुलाया गया हो, समक्ष उस रिपोर्ट को एक ऐसे टिप्पण सहित प्रस्तुत करेगी जिसमें उन तथ्यों के बारे में, जो कि उस रिपोर्ट में वर्णित किये गये हों, स्थिति तथा वह कार्यवाही, जिसे कि वह उन तथ्यों के बारे में की जाने के लिये प्रस्तावित करे, दर्शायी जावेगी.

स्पष्टीकरण.—किसी "नगरपालिक निगम" के मामले में खण्ड (ख) तथा (ग) के प्रयोजनों के लिये उस नगरपालिक निगम के महापौर को नगरपालिक आयुक्त के स्थान पर स्थानीय प्राधिकारी का प्रधान अधिकारी समझा जाएगा.

(1-क) यदि स्थानीय प्राधिकारी का प्रधान अधिकारी, उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार विशेष सम्मिलन नहीं बुलाता है, तो स्थानीय प्राधिकारी का कार्यपालिक अधिकारी उपधारा (1) में वर्णित कालावधि के अवसान की तारीख से तीस दिन के भीतर विशेष सम्मिलन बुलायेगा और उपधारा (1) के खण्ड (ख) तथा (ग) के उपबन्ध उसको उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार कि वे उक्त उपधारा के खण्ड (ख) के अधीन संयोजित किये गये विशेष सम्मिलन को लागू होते हैं.

स्पष्टीकरण.—इस उपधारा के प्रयोजन के लिये, "स्थानीय प्राधिकारी के कार्यपालिक अधिकारी से" अभिप्रेत है,—

(एक) नगरपालिक निगम के मामले में, नगरपालिक आयुक्त;

(दो) नगरपालिका परिषद् या अधिसूचित क्षेत्र समिति के मामले में, मुख्य नगरपालिका अधिकारी;

(तीन) नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी के मामले में, मुख्य कार्यपालिक अधिकारी;

(चार) (क) ग्राम पंचायत के मामले में, सचिव;

(ख) जनपद पंचायत के मामले में, मुख्य कार्यपालिक अधिकारी;

(ग) जिला पंचायत के मामले में, सचिव;

(पांच) कृषि-उपज मण्डी समिति के मामले में, सचिव;

(छ:) किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी के मामले में, उसका ऐसा पदाधिकारी या अधिकारी जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, इस सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट करे.

(1-ख) स्थानीय प्राधिकारी का प्रधान अधिकारी उपधारा (1) के अधीन बुलाये गये विशेष सम्मिलन में उस विषय पर स्थानीय प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया जाने के पश्चात्, त्रुटियों या अनियमितताओं का परिशोधन करने के लिये आवश्यक कार्यवाही करेगा तथा रिपोर्ट प्राप्त होने के चार मास के भीतर—

(क) संचालक को इस बात की प्रज्ञापना भेजेगा कि उस रिपोर्ट में बतलाई गई त्रुटियां या अनियमितताएं दूर कर दी गई हैं; या

(ख) ऐसी त्रुटियों या अनियमितताओं के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण, जो कि स्थानीय प्राधिकारी देना चाहे, संचालक को देगा.

Scanned by CamScanner

(1-ग) यदि स्थानीय प्राधिकारी के प्रधान अधिकारी को वह रिपोर्ट समझने में कोई कठिनाई मालूम होती है या उस बारे में कोई शंका होती है, तो वह ऐसी रीति में तथा ऐसी कालावधि के भीतर जो कि विहित की जाय, संचालक से उस रिपोर्ट के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करा सकेगा. संचालक, उन बातों को स्पष्ट करने के लिये जिन्हें कि स्थानीय प्राधिकारी के प्रधान अधिकारी को, उससे यह अपेक्षा करते हुए समन कर सकेगा कि वह स्वयं ऐसे समय पर तथा ऐसे स्थान पर और ऐसे अभिलेखों सहित, जैसा कि वह (संचालक) निर्देशित करे, उपस्थित हो या संचालक, यदि वह ऐसा करना उचित समझे अभिलेख का निरीक्षण ऐसे स्थान पर जहां की वह रखा हुआ हो कर सकेगा."

(2) ऐसी प्रज्ञापना या स्पष्टीकरण के प्राप्त होने पर, संचालक अपनी रिपोर्ट में चर्चित समस्त विषयों के बारे में या उनमें से किसी के भी बारे में,—

(क) स्थानीय प्राधिकारी के प्रधान अधिकारी द्वारा दी गई प्रज्ञापना या दिये गये स्पष्टीकरण को प्रतिगृहीत कर सकेगा तथा आक्षेपों का प्रत्याहरण कर सकेगा; या

(ख) यह निदेश दे सकेगा कि आगामी संपरीक्षा के समय या किसी पूर्वतर तारीख को उस विषय के सम्बन्ध में पुन: अन्वेषण किया जाय; या

(ग) यह मान सकेगा कि रिपोर्ट में बतलाई गई त्रुटियां या अनियमितताएं या उनमें से कोई त्रुटियां, अनियमितता हटाई या दूर नहीं की गई हैं.

(3) यदि संचालक यह मानता है कि रिपोर्ट में बतलाई गई त्रुटियां या अनियमितताएं हटाई या दूर नहीं की गई हैं, तो वह उपधारा (1-ख) के अधीन संबंधित स्थानीय प्राधिकारी के प्रधान अधिकारी द्वारा दी गई प्रज्ञापना या दिये गये स्पष्टीकरण के अपने द्वारा प्राप्त किये जाने पर या उपधारा (1-ग) के अधीन विहित की गई कालावधि का अवसान होने पर या उस दशा में जबकि स्थानीय प्राधिकारी का प्रधान अधिकारी ऐसी प्रज्ञापना या स्पष्टीकरण देने से चूक गया हो, उपधारा (1-ख) में वर्णित चार मास की कालावधि का अवसान हो जाने पर, यथाशक्य शीघ्र किन्तु रिपोर्ट प्राप्त होने के अधिक से अधिक एक वर्ष के भीतर, अभिकथित अपचारी व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप उस धनराशि का, जिससे कि त्रुटियां या अनियमितताएं संबंधित हैं, वर्णन करते हुए विरचित करेगा और उक्त आरोपों की प्रतिलिपि आयुक्त को अग्रेषित करने के अलावा स्थानीय प्राधिकारी के प्रधान अधिकारी को भी अग्रेषित करेगा ; और

(3-क) यदि यथास्थिति स्थानीय प्राधिकारी का प्रधान अधिकारी या स्थानीय प्राधिकारी का कार्यपालिक अधिकारी उपधारा (1) या उपधारा (1-क) या उपधारा (1-ख) या उपधारा (1-ग) के अधीन कार्यवाही नहीं करता है, तो वह इस बात के लिये दायी हो जायगा कि उसके विरुद्ध आरोप विरचित किये जायं तथा संचालक, उपधारा (1-ख) में वर्णित चार मास की कालावधि का अवसान हो जाने पर, अभिकथित अपचारी व्यक्ति या व्यक्तियों के विरुद्ध उपधारा (3) के अधीन आरोप विरचित करने के साथ-साथ यथास्थिति स्थानीय प्राधिकारी के प्रधान अधिकारी या स्थानीय प्राधिकारी के कार्यपालिक अधिकारी के विरुद्ध भी आरोप विरचित कर सकेगा.

(4) इस धारा में कोई भी बात संचालक को भी कोई भी ऐसी जानकारी जिसके संबंध में संचालक को यह प्रतीत हो कि वह आपराधिक दुर्विनियोग या कपट की उपधारणा का समर्थन करती है या जो, उसकी राय में, विशेष ध्यान दिये जाने या तत्काल अन्वेक्षण किये जाने के योग्य है, आयुक्त के ध्यान में, ऐसी कार्यवाही की जाने के लिये, जैसी कि आयुक्त आवश्यक समझे लाने से किसी भी समय प्रवारित नहीं करेगी.

संचालक अवैध संदाय के लिये या घोर उपेक्षा या अपचार द्वारा अवैध कारित हानि के लिये भारित करेगा तथा प्रभार का स्थानीय प्राधिकारी की प्रशासन रिपोर्ट में समाविष्ट किया जाना.

11. (1) यदि प्रतिकूल हेतुक दर्शित करने का संबंधित व्यक्ति को युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात संचालक को यह समाधान हो जाय कि स्थानीय प्राधिकारी के किसी धन या अन्य संपत्ति की हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन अपचारी व्यक्ति द्वारा किये गये अपचार या उसके द्वारा को गई घोर उपेक्षा के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप हुआ है, या यह समाधान हो जाय कि उक्त व्यक्ति अवैध संदाय के किये जाने में या अवैध संदाय के किये जाने का प्राधिकार प्रदान करने में एक पक्षकार हैं, तो संचालक, लिखित आदेश द्वारा, ऐसे व्यक्ति को यह निदेश देगा कि वह संबंधित स्थानीय प्राधिकारी को विनिर्दिष्ट तारीख के पूर्व ब्याज सहित ऐसी रकम का जैसी कि उस स्थानीय प्राधिकारी को, उसके धन संपत्ति की ऐसी हानि, दुर्व्यय, दुरुपयोजन के लिये प्रतिपूर्ति करने के हेतु न्यायसंगत तथा साम्यिक पाई जाय भुगतान कर दें :

परन्तु—

किसी ऐसी मद के संबंध में जो उस तारीख के, जब कि धारा 8 के अधीन रिपोर्ट स्थानीय प्राधिकारी के प्रधान अधिकारी को भेजी गई थी, या उस तारीख के जिसको कि वह संचालक की जानकारी में आई हो, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पांच वर्ष के पूर्व की किसी भी कालावधि के किसी लेखे में सम्मिलित की गई थी या जो उस लेखे में सम्मिलित की जानी चाहिये थी किन्तु उसमें से छोड़ दी गई प्रभार का कोई आदेश इस अधिनियम के अधीन नहीं किया जायेगा :

Scanned by CamScanner

परन्तु यह और भी कि किसी मृत अपचारी व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधि का दायित्व मृतक की उस सम्पत्ति की सीमा तक होगा जो कि ऐसे विधिक प्रतिनिधि को प्राप्त हुई हो.

(2) उपधारा (1) के अधीन किए गए समस्त प्रभार संबंधित स्थानीय प्राधिकारी की अगली प्रशासन रिपोर्ट में समाविष्ट किए जाएंगे और ऐसी रिपोर्ट जनता के निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगी.

(3) यदि वह व्यक्ति जिसे कि आदेश की प्रतिलिपि उपधारा (1) के अधीन दी जाए, उसे लेने से इन्कार करे, तो उसके संबंध में यह समझा जाएगा कि, वह प्रतिलिपि उसी दिन सम्यक रूपेण प्राप्त हो चुकी है, जिस दिनांक को वह प्रतिलिपि लेने से उसके द्वारा इन्कार किया गया था.

अधिनियम की धारा 3 (4) के अन्तर्गत क्षेत्रीय उप संचालक तथा सहायक संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा को धारा 10 एवं 11 के अधीन विषयक संचालक की शक्तियां निम्नांकित सीमा तक प्रदत्त की है.

(1)	सहायक संचालक	अधिभार प्रकरण जिनमें हानि की राशि रुपये 3000 तक वेष्टित हो का अन्तिम निराकरण.
(2)	उप संचालक	अधिभार प्रकरण जिनमें हानि की राशि रुपये 3001 से रुपये 5000 तक वष्टित हो का अंतिम निराकरण.
(3)	संचालक	रुपये 5000 से अधिक के अधिभार प्रकरणों का अन्तिम निराकरण.

मूल अधिनियम की धारा 12 तथा 13 के स्थान पर निम्नलिखित धारायें स्थापित की जायं, अर्थात्:— धारा 12 तथा 13 के स्थान पर नवीन धाराओं का स्थापन

126 (1) धारा 1. की उपधारा (1) के अधीन के प्रत्येक आदेश पर से कोई अपील.—— प्रथम अपील

(क) उस दशा में जबकि ऐसा आदेश किसी सहायक संचालक व्दारा जिसे कि उस धारा के अधीन संचालक की शक्तियों से विनिहित किया गया हो, पारित किया गया हो, उप संचालक को होगी.

(ख) उस दशा में जबकि ऐसा आदेश ऐसे उप संचालक व्दारा जिसे कि उस धारा के अधीन संचालक की शक्तियों से विनिहित किया गया हो, पारित किया गया हो, संचालक को होगी.

(ग) उस दशा में जबकि ऐसा आदेश संचालक व्दारा पारित किया गया हो आयुक्त को होगी.

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई अपील उस तारीख से जिसको कि वह आदेश अपील करने वाले व्यक्ति को प्राप्त हुआ हो तीस दिन के भीतर की जायेगी.

13. यथास्थिति स्थानीय निधि संपरीक्षा का सहायक संचालक, उप संचालक या संचालक तथा कोई भी ऐसा व्यक्ति जो स्थानीय निधि संपरीक्षा के उप संचालक या संचालक के अथवा आयुक्त के किसी ऐसे आदेश से, जो धारा 12 के अधीन किया गया हो, व्यथित हो, उस तारीख से जिसको कि उसे वह आदेश प्राप्त हुआ हो, तीस दिन के भीतर इस बात के लिए कि यथास्थिति उप संचालक, संचालक या आयुक्त का ऐसा आदेश अपास्त किया जाय, आवेदन (एक) उस दशा में जबकि धारा 12 के अधीन प्रथम अपील में वह आदेश उप संचालक द्वारा पारित किया गया हो, संचालक को. द्वितीय अपील.

(दो) उस दशा में जबकि धारा 12 के अधीन प्रथम अपील में वह आदेश संचालक व्दारा पारित किया गया हो, आयुक्त को (तीन) उस दशा में जबकि धारा 12 के अधीन प्रथम अपील में वह आदेश आयुक्त व्दारा पारित किया गया हो, राजस्व मण्डल को कर सकेगा जो पक्षकारों की सुनवाई करने तथा ऐसा साक्ष्य जैसा कि वह सुसंगत तथा आवश्यक समझे, लेने के पश्चात प्रभार की पुष्टि करेगा उसे उपांतरित करेगा या उसका परिहार करेगा और ऐसी डिग्री पारित करेगा तथा खर्च के संबंध में ऐसे आदेश करेगा जैसा कि वह ठीक समझे और ये आदेश अंतिम होंगे.

14. आयुक्त, राजस्व मण्डल या राज्य सरकार यथास्थिति धारा 12 के अधीन अपील का या धारा 13 के अधीन आवेदन का निपटारा लम्बित रहने की स्थिति में तथा व्यथित व्यक्ति द्वारा तदर्थक आवेदन किया जाने पर, एक ऐसा आदेश पारित कर सकेगी / सकेगा जिसके द्वारा कि धारा 11 के अधीन रकम की वसूली ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जैसी कि ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, रोक दी जायगी. वसूली रोकने का निदेश देने की शक्ति

राज्य शासन वित्त विभागीय अधिसूचना क्रमांक 2201—2950-चार नि.3—73 दिनांक 22-11-73 द्वारा संशोधित.

Scanned by CamScanner

15. ऐसे समस्त मामलों में, जिनमें धारा 12 के अधीन कोई अपील न की गई हो या धारा 13 के अधीन कोई आवेदन न किया गया हो संचालक के प्रमाण-पत्र में कथित की गई राशि का और ऐसे समस्त मामलों में, जिनमें यथास्थिति अपील की गई हो या आवेदन किया गया हो, धारा 12 के अधीन अपील प्राधिकारी के आदेश में या राजस्व मण्डल या राज्य सरकार के आदेश में कथित की गई राशि का, यथास्थिति प्रमाण-पत्र या आदेश की तारीख के तीन मास के भीतर भुगतान किया जायेगा और यदि इस प्रकार भुगतान न किया गया हो, तो संचालक द्वारा आवेदन किया जाने पर या संबंधित प्राधिकारी द्वारा आवेदन किया जाने पर वह कलेक्टर द्वारा इस प्रकार वसूल की जा सकेगी मानो कि वह भू-राजस्व का बकाया हो और स्थानीय प्राधिकारी की स्थानीय निधि में जमा की जा सकेगी। **प्रभारों की भू-राजस्व की भांति वसूली.**

16. किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन उपगत किये गये समस्त व्यय उसकी स्थानीय निधि में से देय होंगे। **प्रभारों आदि का भुगतान.**

17. राज्य सरकार इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसको (राज्य सरकार की) प्रदत्त समस्त शक्तियां या उनमें से कोई भी शक्ति, नियम बनाने की शक्ति, के अपवाद के साथ, किसी ऐसे अधिकारी को जो कलेक्टर के पद से निम्न पद का न हो, अधिसूचना द्वारा प्रत्यायोजित कर सकेगी। **शक्तियों का प्रत्यायोजन.**

18. संचालक, प्रत्येक संपरीक्षक या कोई अधिकारी या प्राधिकारी, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो या उनका प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया गया हो, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (क्रमांक 45 सन् 1860) की धारा 21 के अर्थ के अन्तर्गत लोक सेवक समझा जायगा। **संचालक, संपरीक्षक आदि लोक सेवक होंगे.**

19. इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय इस अधिनियम के अधीन किसी प्राधिकारी द्वारा किए गए किसी आदेश को अपास्त या उपांतरित करने के लिये कोई भी वाद या अन्य कार्यवाहियां किसी सिविल न्यायालय में नहीं लाई जायेगी। **वादों का वर्जन.**

20. संपरीक्षक, संचालक, राज्य सरकार या किसी अन्य अधिकारी के जो यथास्थिति संपरीक्षक, संचालक, राज्य सरकार के अधीनस्थ हो या उसके प्राधिकार के अधीन कार्य कर रहा हो, विरुद्ध, किसी भी ऐसी बात के लिये जो इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई हो या जिसका उस तरह सद्भावपूर्वक किया जा चुकना तात्पर्यित रहा हो, कोई वाद, अभियोजन या अन्य कार्यवाहियां नहीं होंगी **सद्भावपूर्वक किये गये कार्यों के लिये संरक्षण.**

21. (1) इस धारा में,— **इस अधिनियम की अन्य निगमित निकायों तथा अनिगमित निकायों पर लागू करने की शक्ति.**

(क) "निगमित निकाय" से अभिप्रेत है स्थानीय प्राधिकारी से भिन्न ऐसा निगमित निकाय जो संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची 2 या सूची 3 के अधीन आने वाली किसी ऐसी अधिनियमिति जो राज्य विधान मन्डल द्वारा अधिनियमित की गई हो तथा तत्समय प्रवृत्त हो द्वारा या उसके अधीन गठित किया गया हो;

(ख) "अनिगमित निकाय" से अभिप्रेत है कोई ऐसा निकाय जो किसी लिखित या विलेख द्वारा या उसके अधीन गठित किया गया हो।

(2) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के उपबन्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये किसी भी निगमित निकाय या अनिगमित निकाय को लागू होंगे और ऐसी घोषणा के किये जाने पर, यह अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियम, उस अधिनियमिति या लिखत या विलेख में, जिसके द्वारा या जिसके अधीन यथास्थिति ऐसा निगमित निकाय या अनिगमित निकाय गठित हुआ है, अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, तदनुसार इस प्रकार लागू होंगे मानो कि ऐसा निगमित निकाय या अनिगमित निकाय स्थानीय प्राधिकारी हो किन्तु इस उपान्तरण के अध्यधीन रहते हुए कि ऐसे निगमित निकाय या अनिगमित निकाय के संबंध में प्रधान अधिकारी से अभिप्रेत होग यथास्थिति निगमित निकाय या अनिगमित निकाय का ऐसा अधिकारी जिसे कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

(3) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी भी निगमित निकाय या अनिगमित निकाय को अनुसूची में जोड़ सकेगी या किसी भी निगमित निकाय या अनिगमित निकाय का अनुसूची में से लोप कर सकेगी और ऐसी अधिसूचना के जारी हो जाने पर अनुसूची तदनुसार संशोधित हो जायगी।

22. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा तथा पूर्व प्रकाशन की शर्त के अध्यधीन करते हुए, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी। **नियम बनाने की शक्ति.**

(2) विशिष्टतया तथा पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त विषयों या उनमें से किसी भी विषय के लिये उपबन्ध हो सकेंगे, अर्थात् :—

Scanned by CamScanner

(क) संपरीक्षा फीस का भुगतान जो कि स्थानीय प्राधिकारी द्वारा धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन किया जायगा;

(ख) वह प्ररूप तथा रीति जिसमें कि लेखे धारा 5 क अधीन संपरीक्षा के लिये प्रस्तुत किये जायेंगे;

(ग) संपरीक्षकों को शक्तियां तथा कर्त्तव्य और संपरीक्षा के संचालन के लिये उनके द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और वे समय जब तथा वे स्थान जहां ऐसी संपरीक्षा की जा सकेगी:

(घ) संचालक की शक्तियां तथा कर्त्तव्य;

(ङ) ये प्राधिकारी, जिनको धारा 8 के अधीन संपरीक्षा रिपोर्ट की प्रतिलिपियां दी जायेंगी;

(ङङ) वह रीति जिसमें तथा वह समय जिसके भीतर कि रिपोर्ट के संबंध में धारा 10 की उपधारा (1-ग) के अधीन स्थिति स्पष्ट कराई जायेगी,

(च) कोई अन्य बात जो निहित की जानी है या विहित की जाय.

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम विधान सभा के पटल पर रखे जायेंगे.

23. मध्यप्रदेश लोकल फण्ड आडिट एक्ट, 1933 (क्रमांक 9 सन् 1933) एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है. निरसन

Scanned by CamScanner

अनुसूची

[धारा 21 (3) देखिए]

क—राज्य विधान मण्डल द्वारा अधिनियमित की गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किये गये विश्वविद्यालय तथा उनके संघटक महाविद्यालय.

(1) यूनिवर्सिटी आफ सागर, सागर.
(2) विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन.
(3) यूनिवर्सिटी आफ जबलपुर, जबलपुर.
(4) रविशंकर यूनिवर्सिटी, रायपुर.
(5) इन्दौर यूनिवर्सिटी, इन्दौर.
(6) जीवाजी यूनिवर्सिटी, ग्वालियर.
(7) अवधेश प्रतापसिंह विश्वविद्यालय, रीवा.
(8) भोपाल विश्वविद्यालय, भोपाल.
(9) इन्दिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़.
(10) जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर.

ख—मध्यप्रदेश के बोर्ड

(1) मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल.
(2) बोर्ड आफ होमियोपैथिक एण्ड बायोकेमिक सिस्टम आफ मेडिसिन, मध्यप्रदेश.
(3) मध्यप्रदेश डेण्टल कौंसिल, भोपाल.
(4) विधिक सहायता तथा विधिक सलाहकार बोर्ड, भोपाल.

ग—न्यास निधियां

(1) चेरीटेबिल एन्डाउमेंट्स मध्यप्रदेश के कोषालय में विनिहित की गई समस्त न्यास निधियां.
(2) पूर्णतः या अंशतः सरकारी प्रतिभूतियों से मिलकर बनने वाली समस्त न्यास निधियां.
(3) गंगाजली निधि न्यास.

घ—राज्य सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त करने वाली समस्त गैरसरकारी शैक्षिक तथा तकनीकी संस्थायें.

ङ—मध्यप्रदेश सुगरकेन (रेग्युलेशन आफ सप्लाय एण्ड परचेज) एक्ट, 1958 (क्रमांक 1 सन् 1959) की धारा 5 के अधीन स्थापित की गई समस्त गन्ना विकास परिषदें.

च—अन्य संस्थायें

(1) मध्यप्रदेश पेशन्टस फण्ड एण्ड चेरिटी बाक्सेस के अन्तर्गत शासकीय चिकित्सालयों द्वारा रक्षित लेखे.
(2) मध्यप्रदेश कला परिषद्, भोपाल.
(3) गांधी शताब्दी लेखे.
(4) पी. एम. टी. मण्डल, भोपाल.
(5) माधव प्रायोगिकी महाविद्यालय, ग्वालियर.
(6) अशासकीय पोलिटेकनिक्स.
(7) भूतपूर्व जिला कौंसिल रायपुर के लेखों का पुनरावलोकन.

Scanned by CamScanner

(8) पाठ्य पुस्तक निगम, भोपाल.

(9) मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड, भोपाल.

(10) मध्यप्रदेश आयुर्वेद, यूनानी एवं प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति बोर्ड, भोपाल.

(11) लक्ष्मण बाग संस्थान, रीवा.

(12) आवास एवं पर्यावरण विभाग के प्रयोग स्थापित विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारियों के लेखे भिलाई, खजुराहो, कोरबा, अमरकंटक, सिंगरोली, पंचमढ़ी, बेलाडिला, चित्रकूट एवं ओरछा.

(13) मुख्य मंत्री सहायता कोष के लेखे.

(14) माधव इंजीनियरिंग कालेज एम्पलाइज प्रोवीडेन्ट फण्ड ट्रस्ट, ग्वालियर.

(15) संचालक, स्थानीय संस्थायें, मध्यप्रदेश में स्थापित पेंशन फण्ड.

(16) संचालक, स्थानीय संस्थायें, टेक्नीकल फण्ड.

(17) म. प्र. उर्दू अकादमी.

(18) औकाफ विभाग, ग्वालियर.

(19) आफिसियल लिक्विडेटर, इन्दौर.

(20) म. प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल.

(21) पोस्ट वार सर्विसेज रिकन्स्ट्रक्शन ट्रस्ट एवं स्पेशल फण्ड.

(22) मसजिद कमेटी, भोपाल.

(23) मेडीकल कौंसिल, भोपाल.

(24) उस्ताद अलाउद्दीन खाँ संगीत अकादमी, भोपाल.

(25) श्री शारदा देवी मंदिर, मैहर, जिला सतना, म. प्र.

26

27 मध्यप्रदेश आदिवासी लोककला परिषद भोपाल
28 कालिदास अकादमी [illegible] उज्जैन
29 [illegible] ललित कला [illegible] भारत भवन भोपाल
30 म. प्र. रंगमण्डल भारत भवन भोपाल

वित्त विभाग भोपाल, दिनांक 29 [illegible] 1982 [illegible] 5088 [illegible] नियम [illegible] दिनांक 12 [illegible]

परिशिष्ट क्रमांक १

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जून 1978

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक 14 सन् 1978.

मध्यप्रदेश स्थानीय निधि संपरीक्षा (संशोधन) अधिनियम, १९७८

[दिनांक 26 मई 1978, को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र" (असाधारण), दिनांक 5 जून 1978 को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1973 को संशोधित करने हेतु अधिनियम भारत गणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश स्थानीय निधि संपरीक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1978 है. संक्षिप्त नाम.

2. मध्यप्रदेश स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1973 (क्रमांक 43 सन् 1973) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 3 की उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जावे, अर्थात् :— धारा 3 का संशोधन.

"(4) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, धारा 8, 9, 10 तथा 11 के अधीन की संचालक की समस्त शक्तियां या उनमें से कोई भी शक्ति स्थानीय निधि लेखा के सहायक संचालक के पद से अनिम्न पद के किसी अधिकारी को प्रदत्त कर सकेगी."

3. मूल अधिनियम की धारा 10 में,— धारा 10 का संशोधन.

(एक) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें स्थापित की जायें, अर्थात् :—

"(1) धारा 8 के अधीन रिपोर्ट प्राप्त होने के पैंतालीस दिन के भीतर, स्थानीय प्राधिकारी का प्रधान अधिकारी,—

(क) उस रिपोर्ट में बतलाई गई ऐसी त्रुटियों या अनियमितताओं को छांटेगा या छंटवाएगा:—

(एक) जिन्हें वह या कार्यपालिक अधिकारी स्थानीय प्राधिकारी को निर्दिष्ट किये बिना दूर करने के लिये सक्षम हो;

(दो) जिन्हें दूर करने के लिये स्थानीय प्राधिकारी ही सक्षम हो ;

(ख) स्थानीय प्राधिकारी से संबंधित विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, उस रिपोर्ट पर विचार करने के लिये स्थानीय प्राधिकारी का एक विशेष सम्मिलन बुलायेगा, जो सम्मिलन कि स्थानीय प्राधिकारी से संबंधित विधि के प्रयोजनों के लिये एक ऐसा विशेष सम्मिलन समझा जायेगा जो उक्त विधि के अधीन संयोजित किया गया हो; और

(ग) स्थानीय प्राधिकारी के उस विशेष सम्मिलन के जो कि खण्ड (ख) के अधीन बुलाया गया हो, समक्ष उस रिपोर्ट को एक ऐसे टिप्पण सहित प्रस्तुत करेगा, जिसमें उन तथ्यों के बारे में, जो कि उस रिपोर्ट में वर्णित किये गये हों, स्थिति तथा वह कार्यवाही जिसे कि वह उन तथ्यों के बारे में की जाने के लिये प्रस्तावित करे, दर्शाई जायेगी.

स्पष्टीकरण.—किसी "नगरपालिक निगम" के मामले में खण्ड (ख) तथा (ग) के प्रयोजनों के लिये उस नगरपालिक निगम के महापौर को नगरपालिक आयुक्त के स्थान पर स्थानीय प्राधिकारी का प्रधान अधिकारी समझा जायेगा.

Scanned by CamScanner

(तीन) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाय, अर्थात् :--

"(3-क) यदि यथास्थिति स्थानीय प्राधिकारी का प्रधान अधिकारी या स्थानीय प्राधिकारी का कार्य-पालिक अधिकारी उपधारा (1) या उपधारा (1-क) या उपधारा (1-ख) या उपधारा (1-ग) के अधीन कार्यवाही नहीं करता है तो वह इस बात के लिये दायी हो जायगा कि उसके विरुद्ध आरोप विरचित किये जायं तथा संचालक, उपधारा (1-ख) में वर्णित चार मास की कालावधि का अवसान हो जाने पर, अभिकथित अपचारी व्यक्ति या व्यक्तियों के विरुद्ध उपधारा (3) के अधीन आरोप विरचित करने के साथ-साथ यथास्थिति स्थानीय प्राधिकारी के प्रधान अधिकारी या स्थानीय प्राधिकारी के कार्यपालिक अधिकारी के विरुद्ध भी आरोप विरचित कर सकेगा".

4. मूल अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के प्रथम परन्तुक में से खण्ड (दो) का लोप किया जाय. धारा 11 का संशोधन.

5. मूल अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (2) के खण्ड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाय, अर्थात् :— धारा 22 का संशोधन.

"(ङ ङ) वह रीति जिसमें तथा वह समय जिसके भीतर कि रिपोर्ट के संबंध में धारा 10 की उपधारा (1-ग) के अधीन स्थिति स्पष्ट कराई जायगी".

6. जहां किसी मामले में मूल अधिनियम की धारा 8 के अधीन रिपोर्ट प्राप्त होने पर,-- धारा 10 तथा 11 के अधीन की व्यपगत कार्यवाहियों का पुनः प्रवर्तन.

(क) आरोप इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व उस कालावधि के भीतर जो कि धारा 10 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट है, विरचित नहीं किया गया था, या

(ख) प्रभार का आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व उस कलावधि के भीतर, जो कि धारा 11 की उपधारा (1) के परन्तुक के खण्ड (दो) में विनिर्दिष्ट है, नहीं किया गया था.

वहां, भले ही मूल अधिनियम में कोई भी बात क्यों न हो, आरोप विरचित करने या प्रभार का आदेश करने संबंधी वे कार्यवाहियां, जो व्यपगत हो चुकी थीं, ऐसा प्रारंभ होने पर पुनः प्रवर्तित हो जायेगी तथा इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के भीतर यथास्थिति आरोप विरचित किया जा सकेगा या प्रभार का आदेश किया जा सकेगा.

Scanned by CamScanner

परिशिष्ट क्रमांक २

क्रमांक 28 भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 11 जुलाई, 1975—आषाढ़ 20, शके 1897

वित्त विभाग

भोपाल, दिनांक 30 जून 1975

क्र. 1554-576-चार-नि-3-75.—मध्यप्रदेश स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1973 (43 सन् 1973) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये तथा इस विषय पर पूर्व में जारी की गई समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह घोषित करती है कि नीचे दी गई अनुसूची म विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों के लेखे उक्त अधिनियम के अधीन संपरीक्षा के अध्यधीन होंगे:—

अ नु सू ची

(1) समस्त नगरपालिक निगम.

(2) समस्त नगरपालिका परिषद्.

(3) समस्त अधिसूचित क्षेत्र समितियां.

(4) समस्त नगर सुधार न्यास.

(5) समस्त जनपद सभा.

(6) समस्त जनपद पंचायत.

(7) समस्त जिला पंचायत.

(8) मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) के अधीन गठित समस्त मंडी समिति.

(9) समस्त प्राधिकारी जो किसी नगरपालिका या स्थानीय निधि के नियंत्रण या प्रबन्ध के लिये, विधिक रूप से हकदार हों या राज्य सरकार द्वारा न्यस्त किये गये हों.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

निर्मला बुच, विशेष सचिव

Scanned by CamScanner

परिशिष्ट क्रमांक ३

क्र. 28 भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 11 जुलाई 1975—आषाढ़ 20, शके 1897

वित्त विभाग

भोपाल, दिनांक 6 दिसम्बर 1974

क्र. 2034-2535-चार-नि-3-74.—मध्यप्रदेश स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1973 (43 सन् 1973) की धारा 21 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम के उपबन्ध, उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये समस्त निगमित तथा अनिगमित निकायों को लागू होंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

म. य. गोडबोले, प्रमुख सचिव.

Scanned by CamScanner

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक 20 सन 1979

मध्यप्रदेश स्थानीय निधि संपरीक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1979

[दिनांक 1 जून 1979 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र" (असाधारण) में दिनांक 11 जून 1979 को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1973 को और संशोधन करने हेतु अधिनियम.

भारत के गणराज्य के तीसवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश स्थानीय निधि संपरीक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1979 है. **संक्षिप्त नाम.**

2. मध्यप्रदेश स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1973 (क्रमांक 43 सन् 1973) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 2 में,— **धारा 2 का संशोधन.**

(एक) खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड स्थापित किया जाय, अर्थात्:—

"(क) 'संपरीक्षा' के अंतर्गत आता है विस्तृत संपरीक्षा, विशेष संपरीक्षा, स्थानिक संपरीक्षा (रेजीडेंट आडिट) तथा ऐसी अन्य संपरीक्षा जैसी कि राज्य सरकार, समय-समय पर विनिर्दिष्ट करें."

(दो) खंड (घ) में शब्द "स्थानीय निधि लेखा" के स्थान पर "स्थानीय निधि संपरीक्षा" स्थापित किये जायं; और

(तीन) खंड (ज) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाय, अर्थात्:—

"(झ) 'स्थानिक संपरीक्षा' से अभिप्रेत है व्यय की संवर्ती या पूर्व संपरीक्षा तथा प्राप्तियों का पुनर्विलोकन."

3. मूल अधिनियम की धारा 3 में,— **धारा 3 का संशोधन.**

(एक) जहां कहीं भी शब्द "स्थानीय निधि लेखा आये हों, वहां उनके स्थान पर शब्द "स्थानीय निधि संपरीक्षा" स्थापित किये जायं.

(दो) उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाय, अर्थात्:—

"(4) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा धारा 8, 9, 10 तथा 11 के अधीन संचालक की समस्त शक्तियों या उनमें से कोई भी शक्ति स्थानीय निधि संपरीक्षा के सहायक संचालक की पद श्रेणी से अनिम्न पदश्रेणी के किसी अधिकारी को ऐसे निबंधनों तथा शर्तों के साथ प्रदत्त कर सकेगी जो कि ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाय."

4. मूल अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (3) में शब्द "विनिश्चय" के स्थान पर शब्द "आदेश" स्थापित किया जाये. **धारा 11 का संशोधन.**

5. मूल अधिनियम की धारा 12 तथा 13 के स्थान पर निम्नलिखित धारायें स्थापित की जायं, अर्थात्:— **धारा 12 तथा 13 के स्थान पर नवीन धाराओं का स्थापन.**

"12. (1) धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन के प्रत्येक आदेश पर से कोई अपील,— **प्रथम अपील.**

(क) उस दशा में जबकि ऐसा आदेश किसी सहायक सचालक द्वारा, जिसे कि उस धारा के अधीन सचालक की शक्तियों से विनिहित किया गया हो, पारित किया गया हो, उपसंचालक को होगी.

(ख) उस दशा में जबकि ऐसा आदेश ऐसे उप संचालक द्वारा जिसे कि उस धारा के अधीन संचालक की शक्तियों से विनिहित किया गया हो, पारित किया गया हो, संचालक को होगी.

(ग) उस दशा में जबकि ऐसा आदेश संचालक द्वारा पारित किया गया हो, आयुक्त को होगी.

Scanned by CamScanner

(2) उपधारा (1) के अधीन की गई अपील उस तारीख से जिसको कि वह आदेश अपील करने वाले व्यक्ति को प्राप्त हुआ हो, तीस दिन के भीतर की जायगी.

द्वितीय अपील.

13. यथास्थिति स्थानीय निधि संपरीक्षा का सहायक संचालक, उप संचालक या संचालक तथा कोई भी ऐसा व्यक्ति, जो स्थानीय निधि संपरीक्षा के उप संचालक या संचालक के अथवा आयुक्त के किसी ऐसे आदेश से, जो धारा 12 के अधीन किया गया हो, व्यथित हो, उस तारीख से, जिसको कि उसे वह आदेश प्राप्त हुआ हो, तीस दिन के भीतर इस बात के लिये कि यथास्थिति उप संचालक, संचालक या आयुक्त का ऐसा आदेश अपास्त किया जाय, आवेदन —

(एक) उस दशा में जबकि धारा 12 के अधीन प्रथम अपील में वह आदेश उप संचालक द्वारा पारित किया गया हो, संचालक को,

(दो) उस दशा में जबकि धारा 12 के अधीन प्रथम अपील में वह आदेश संचालक द्वारा पारित किया गया हो, आयुक्त को,

(तीन) उस दशा में जबकि धारा 12 के अधीन प्रथम अपील में वह आदेश आयुक्त द्वारा पारित किया गया हो, राजस्व मंडल को,

कर सकेगा जो पक्षकारों की सुनवाई करने तथा ऐसा साक्ष्य जैसा कि वह सुसंगत तथा आवश्यक समझे, लेने के पश्चात प्रभार की पुष्टि करेगा, उसे उपान्तरित करेगा या उसका परिहार करेगा और ऐसी डिक्री पारित करेगा तथा खर्च के संबंध में ऐसे आदेश करेगा जैसा कि वह ठीक समझे और ये आदेश अंतिम होंगे."

Scanned by CamScanner

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 142] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 6 जून 2003—ज्येष्ठ 16, शक 1925

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 जून 2003

क्रमांक 3653.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 31-5-2003 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. बी. बाजपेयी, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 14 सन् 2003)

छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2003

छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1973 (क्रमांक 43 सन् 1973) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम. 1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2003 है.

प्रारंभ. 2. यह अधिनियम संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में लागू होगा और राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 2 में संशोधन. 3. (1) छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1973 (क्रमांक 43 सन् 1973) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 2 की कंडिका (ङ) में उल्लेखित शब्द ''अधिसूचित क्षेत्र समिति'' का लोप किया जाए.

(2) मूल अधिनियम की धारा 2 की कंडिका (छ) के परन्तुक (दो) में उल्लिखित शब्द ''या अधिसूचित क्षेत्र समिति'' का लोप किया जाए.

(3) मूल अधिनियम की धारा 2 की कंडिका (ङ) के शब्द नगर पालिका परिषद् के पश्चात् शब्द ''नगर पंचायत'' जोड़ा जाए.

(4) धारा 2 की कंडिका (छ) के परन्तुक (तीन) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाए-(तीन-क) ''नगर पंचायत'' के मामले में ''अध्यक्ष'' जोड़ा जाए.

(5) मूल अधिनियम की धारा 2 की कंडिका (छ) के परन्तुक (छः) में शब्द ''सभापति'' के स्थान पर ''अध्यक्ष'' स्थापित किया जाए.

धारा 3 के स्थान पर नवीन धारा का स्थापन. 4. मूल अधिनियम की धारा 3 के स्थान पर निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

(1) धारा 3 (1)—किसी व्यक्ति को संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा एवं अतिरिक्त संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा नियुक्त किया जा सकेगा और उसकी सहायता के लिये निम्नलिखित प्रवर्ग के अधिकारी नियुक्त किये जा सकेंगे, अर्थात् :—

(क) संयुक्त संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा.
(ख) उप संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा.
(ग) सहायक संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा.
(घ) ज्येष्ठ संपरीक्षक, स्थानीय निधि संपरीक्षा.
(ङ) सहायक संपरीक्षक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, और
(च) चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, धारा 3 की उपधारा (5) के अंतर्गत नियुक्त.

(2) संचालक, अतिरिक्त संचालक, संयुक्त संचालक, उप संचालक तथा सहायक संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे और उपधारा (1) में निर्दिष्ट किये गये, अन्य अधिकारी राज्य सरकार द्वारा या ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जिसे कि वह (राज्य सरकार) निर्देश दे, नियुक्त किये जाएंगे.

(3) उपधारा 2 के अधीन नियुक्त किया गया अधिकारी, ऐसे क्षेत्र के भीतर जिन्हें कि नियुक्ति प्राधिकारी विनिर्दिष्ट करे, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेगा जो कि इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसको प्रदत्त की जाए या सौंपे जाएं.

(4) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, धारा 8, 9, 10 तथा 11 के अधीन संचालक की समस्त शक्तियां या उनमें से कोई भी शक्ति स्थानीय निधि संपरीक्षा के सहायक संचालक के पद श्रेणी से अनिम्न श्रेणी के किसी भी अधिकारी को ऐसे निर्बन्धनों तथा शर्तों के साथ प्रदत्त कर सकेगी जो कि ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए.

(5) संचालक धारा 3 की उपधारा (1) की कंडिका (च) में निर्दिष्ट चार्टर्ड एकाउन्टेंट की नियुक्ति प्रत्येक वर्ष राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पैनल से करेगा.

(6) संचालक चार्टर्ड एकाउन्टेंट को उसके द्वारा किये गये संपरीक्षा कार्य हेतु पारिश्रमिक का भुगतान राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर से करेगा.

(7) चार्टर्ड एकाउन्टेंट मूल अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत प्रदत्त ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा एवं ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेगा जैसी कि मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपा जाए.

5. (1) मूल अधिनियम की धारा 10 की कंडिका (1-क) के स्पष्टीकरण के खण्ड (दो) में शब्द "अधिसूचित क्षेत्र समिति" के स्थान पर "नगर पंचायत" स्थापित किया जाए. **धारा 10 में संशोधन.**

(2) मूल अधिनियम की धारा 10 की कंडिका (1-क) के स्पष्टीकरण के खण्ड (चार) के उपखण्ड (ग) में शब्द सचिव के स्थान पर शब्द "मुख्य कार्यपालन अधिकारी" स्थापित किया जाए.

(3) मूल अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (3) एवं (4) में उल्लिखित शब्द "आयुक्त" के स्थान पर शब्द "राज्य सरकार" स्थापित किया जाए.

6. मूल अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) में शब्द "आयुक्त" के स्थान पर शब्द "राजस्व मंडल" स्थापित किया जाए. **धारा 12 में संशोधन.**

7. (1) मूल अधिनियम की धारा 13 में शब्द "के अलावा आयुक्त" एवं शब्द "या आयुक्त" को विलोपित किया जाए. **धारा 13 में संशोधन.**

(2) मूल अधिनियम की धारा 13 की कंडिका (दो) में शब्द "आयुक्त" के स्थान पर शब्द "राजस्व मंडल" स्थापित किया जाए.

(3) मूल अधिनियम की धारा 13 की कंडिका (तीन) विलोपित किया जाए.

धारा 14 में संशोधन. 8. मूल अधिनियम की धारा 14 में शब्द "आयुक्त" को विलोपित किया जाए.

रायपुर, दिनांक 6 जून 2003

क्रमांक 3653.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2003 (क्र. 14 सन् 2003) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. बी. बाजपेयी, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 14 of 2003)

THE CHHATTISGARH STHANIYA NIDHI SAMPARIKSHA (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2003

An Act further to amend the Chhattisgarh Sthaniya Nidhi Samparikshа Adhiniyam, 1973 (No. 43 of 1973).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Fifty-fourth year of the Republic of India as follows :—

Short Title. 1. This Act may be called the Chhattisgarh Sthaniya Nidhi Samparikshа (Sanshodhan) Adhiniyam, 2003.

Commencement. 2. This Act will apply to the whole of the State of Chhattisgarh and shall come in to force from the date of its publication in the Gazette.

Amendment in Section 2. 3. (1) The words "Notified Area Committee" appearing in sub-section (e) of section 2 of the Chhattisgarh Sthaniya Nidhi Samparikshа Adhiniyam, 1973 (43 of 1973) (hereinafter referred to as the Principal Act) shall be omitted.

(2) The words "or a Notified Area Committee" in proviso (ii) of sub-clause (g) of section 2 of the Principal Act shall be omitted.

(3) The words "Nagar Panchayat" shall be added after the words "Nagar Palika Parishad" of sub-clause (e) of section 2 of the Principal Act.

(4) After proviso (iii) of sub-clause (g) of section 2 of the Principal Act, following shall be inserted-(iii-a) in case of a "Nagar Panchayat—the President".

(5) In proviso (vi) of sub-clause (g) of section 2 of the Principal Act the words "the Chairman" shall be substituted by the words "the President".

4. Section 3 of the Principal Act shall be substituted by the following section, namely :— **Substitution of new section for section 3.**

Section 3 (1)—There may be appointed a person to be Director, Local Fund Audit and Additional Director, Local Fund Audit and the following category of officers to assist him, namely :—

(a) Joint Director, Local Fund Audit.
(b) Deputy Director, Local Fund Audit.
(c) Assistant Director, Local Fund Audit.
(d) Senior Auditor, Local Fund Audit.
(e) Assistant Auditor, Local Fund Audit.
(f) Chartered Accountants, as appointed under sub-section (5) of section 3.

(2) The Director, Additional Director, Joint Director, Deputy Director and the Assistant Director, Local Fund Audit shall be appointed by the State Government and the other officers referred to in the sub-section (1) shall be appointed by the State Government or such authority as it may direct.

(3) The officers appointed under sub-section (2) shall, within such areas as the appointing authority may specify, exercise such powers and perform such duties as may be conferred upon or assigned to him by or under this Act.

(4) The State Government may, by notification confer upon any officer not below the rank of an Assistant Director of the Local Fund Audit all or any of the powers of the Director under section 8, 9, 10 and 11 subject to such restrictions and conditions as may be specified in the notification.

(5) The Director shall appoint Chartered Accountants referred to in clause (f) of sub-section (1) of section 3, from the panel, approved by the State Government every year.

(6) The Director shall pay remuneration to the Chartered Accountants for the audit conducted by them as per the rates prescribed by the State Government.

(7) The Chartered Accountants shall exercise such powers as may be conferred upon and perform such duties as may be assigned them, by the State Government under the provisions of the Principal Act.

5. (1) The words "Notified Area Committee" in explanation (ii) of sub-section (1-a) of section 10 of the Principal Act, shall be substituted by the words "Nagar Panchayat". **Amendment in Section 10.**

(2) The word "Secretary" in clause (iv-c) of explanation of sub-section (1-a) of section 10 of the Principal Act, shall be substituted by the word "Chief Executive Officer".

(3) The word "Commissioner" shall be substituted by the words "State Government" in sub-section (3) and (4) of section 10 of the Principal Act.

6. For the word "Commissioner" in clause (c) of sub-section (1) of section 12 of the Principal Act shall be substituted by the words "Board of Revenue". **Amendment in Section 12.**

Amendment in Section 13.

7. (1) The words "or the Commissioner" and "or commissioner" in section 13 of the Principal Act, shall be omitted.

(2) For the word "Commissioner" in sub-section (ii) of section 13 of the Principal Act, the word "Board of Revenue" shall be substituted.

(3) Sub-section (iii) of section 13 of the Principal Act, shall be omitted.

Amendment of Section 14.

8. In Section 14 of the Principal Act the word "commissioner" shall be omitted.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2003.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 159] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 3 मई 2011—वैशाख 13, शक 1933

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 मई 2011

क्रमांक 3232/105/21-अ/प्रा./छ. ग./11.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 26-04-2011 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. एल. चरयाणी, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 9 सन् 2011)

छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2011

छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1973 (क्रमांक 43/सन् 1973) में और संशोधन **करने हेतु अधिनियम.**

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2011 कहलाएगा.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) ये राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 2 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1973 (क्र. 43 सन् 1973) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 2 के खण्ड (झ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाए :—

"(ञ) **"वार्षिक प्रतिवेदन"** से अभिप्रेत है, उक्त अधिनियम की धारा 9 में यथा निर्दिष्ट संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा तैयार किये गये संपरीक्षा प्रतिवेदन की विषयवस्तु का समेकित प्रतिवेदन."

धारा 8 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 8 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा जोड़ी जाए, अर्थात् :—

"8-क (1) उक्त अधिनियम की धारा 4 (1) की अनुसूची में निर्दिष्ट निम्नलिखित स्थानीय निकायों—

1. समस्त नगर पालिक निगमों,
2. समस्त नगर पालिका परिषदों,
3. समस्त नगर पंचायतों,
4. समस्त जिला पंचायतों,
5. समस्त जनपद पंचायतों,
6. समस्त ग्राम पंचायतों,

के लेखों की संपरीक्षा के संबंध में संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा का वार्षिक प्रतिवेदन राज्य सरकार (वित्त विभाग) को प्रस्तुत किया जाएगा.

(2) राज्य सरकार (वित्त विभाग) उप-धारा (1) के अधीन वार्षिक प्रतिवेदन को इसके प्राप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र विधानमण्डल के समक्ष प्रस्तुत करेगी."

रायपुर, दिनांक 2 मई 2011

क्रमांक 3232/105/21-अ/प्रा./छ. ग./11.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2011 (क्रमांक 9 सन् 2011) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. एल. चरयाणी, अतिरिक्त स

CHHATTISGARH ACT
(No. 9 of 2011)

THE CHHATTISGARH STHANIYA NIDHI SAMPARIKSHA (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2011

An Act further to amend the Chhattisgarh Sthaniya Nidhi Samparikska Adhiniyam, 1973 (No. 43 of 1973).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty second year of the Republic of India, as follows :—

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Sthaniya Nidhi Samparikska (Sanshodhan) Adhiniyam, 2011. **Short title, extent and Commencement.**

(2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. After clause (i) of Section 2 of the Chhattisgarh Sthaniya Nidhi Samparikska Adhiniyam, 1973 (No. 43 of 1973), (hereinafter referred to as the Principal Adhiniyam), the following clause shall be added, namely :— **Amendment of Section 2.**

"(j) "Annual Report" means consolidated report of the contents of the audit reports, prepared by the Director Local Fund Audit as referred to in the Section 9 of the said Adhiniyam."

3. After Section 8 of the Principal Adhiniyam, the following Section shall be added, namely :— **Amendment of Section 8.**

"8-A (1) The Annual Report of the Director, Local Fund Audit, in relation to the Audit of the following Local Bodies, referred to in Schedule of Section 4 (1) of the said Adhiniyam—

(1) All Municipal Corporations,
(2) All Municipal Councils,
(3) All Nagar Panchayats,
(4) All Zila Panchayats,
(5) All Janapad Panchayats,
(6) All Gram Panchayats,

Shall be submitted to the State Government (Finance department).

(2) The State Government (Finance department) shall cause, the Annual Report as soon as after it is received by it under sub-section (1) to be laid, before the State Legislature."

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 254] रायपुर, सोमवार, दिनांक 1 जून 2020 — ज्येष्ठ 11, शक 1942

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 1 जून 2020

क्रमांक 4231/डी. 95/21-अ/प्रारू./छ.ग./20. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 15-04-2020 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्र. 11 सन् 2020)

छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2020

छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1973 (क्र. 43 सन् 1973) में और संशोधन करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ;

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2020 कहलायेगा ।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा ।
(3) ये राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

मूल अधिनियम का संशोधन

2. छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1973 (क्र. 43 सन् 1973) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रुप में निर्दिष्ट है) में,–
(एक) धारा 1 में, उप–धारा (1) "संक्षिप्त नाम" के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–
"(1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा अधिनियम, 1973 कहलायेगा।"
(दो) शब्द "स्थानीय निधि संपरीक्षा" जहाँ कहीं भी आया हो के स्थान पर, शब्द "राज्य संपरीक्षा" प्रतिस्थापित किया जाए।

धारा 2 का संशोधन

3. मूल अधिनियम में, धारा 2 में,–
(एक) खण्ड (क) में, शब्द तथा चिन्ह "विस्तृत संपरीक्षा" के पश्चात् शब्द तथा चिन्ह "नमूना संपरीक्षा, पूर्व संपरीक्षा, समवर्ती संपरीक्षा, पश्चातवर्ती संपरीक्षा, फोरेंसिक संपरीक्षा, वित्तीय संपरीक्षा, अनुपालन संपरीक्षा, जोखिम आधारित संपरीक्षा, निष्पादन संपरीक्षा" अंत:स्थापित किया जाए; तथा

(दो) खण्ड (ञ) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

"(ट) "नमूना संपरीक्षा" से अभिप्रेत है चयनित माह/अवधि के लेखों और/या वित्तीय संव्यवहार और/या किसी योजना की संपरीक्षा;

(ठ) "पूर्व संपरीक्षा" से अभिप्रेत है किसी निधि में से संदाय, आहरण या समायोजन के पूर्व की जाने वाली संपरीक्षा;

(ड) "समवर्ती संपरीक्षा" से अभिप्रेत है किसी निधि में से संदाय, आहरण या समायोजन करने के, या तो साथ ही साथ या उसके तुरन्त पश्चात् स्थल पर की जाने वाली संपरीक्षा;

(ढ) "पश्चातवर्ती संपरीक्षा" से अभिप्रेत है किसी निधि में से संदाय, आहरण या समायोजन के पश्चात् की जाने वाली संपरीक्षा, जो समवर्ती संपरीक्षा न हो, किंतु इसमें विस्तृत संपरीक्षा एवं नमूना संपरीक्षा सम्मिलित है;

(ण) "फोरेंसिक संपरीक्षा" से अभिप्रेत है किसी फर्म या प्राधिकारी या व्यक्ति के वित्तीय अभिलेखों का ऐसा परीक्षण एवं मूल्यांकन, जिसे साक्ष्य के रूप में किसी न्यायालय अथवा विधिक कार्यवाही में प्रयोग किया जा सके;

(त) "वित्तीय संपरीक्षा" से अभिप्रेत है किसी प्राधिकारी के वित्तीय प्रतिवेदनों एवं वित्तीय प्रतिवेदन प्रकियाओं का स्वतंत्र एवं वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन;

(थ) "अनुपालन संपरीक्षा" से अभिप्रेत है किसी प्राधिकारी के लिये विहित नियमों एवं विनियमों के अनुपालन पर केंद्रित विस्तृत पुनर्विलोकन की प्रकिया;

(द) "जोखिम आधारित संपरीक्षा" से अभिप्रेत है संपरीक्षा की ऐसी शैली, जो किसी संस्थान की वित्तीय अनियमितताओं के होने की जोखिम के विश्लेषण एवं प्रबंधन पर केन्द्रित हो;

(म) निष्पादन संपरीक्षा से अभिप्रेत है किसी निकाय के कार्यक्रम, क्रिया, संचालन, प्रबंधन प्रणालियों और प्रक्रियाओं की उपलब्ध संसाधनों के मितव्ययिता, दक्षता और प्रभावशीलता से लक्ष्य प्राप्ति का आकलन।

(न) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इस अधिनियम से संलग्न अनुसूचियां;

(प) "अधिभार" से अभिप्रेत है किसी धन या अन्य सम्पत्ति की हानि, दुर्व्यय, दुरूपयोजन या दुर्विनियोजन की वह राशि, जिसके लिये संचालक किसी व्यक्ति को उत्तरदायी ठहराता हो कि उसके किसी अपचार या घोर उपेक्षा के कारण हानि कारित हुई है;

(फ) "लेखे" से अभिप्रेत है किसी प्राधिकारी के वित्तीय संव्यवहार एवं सभी संबंधित अभिलेख।"

धारा 7 का संशोधन

4. मूल अधिनियम में, धारा 7 में,–

(1) उप–धारा (1) में शब्द "पांच सौ रूपये" के स्थान पर, शब्द "पच्चीस हजार रूपये" प्रतिस्थापित किया जाए; और

(2) उप–धारा (3) में, शब्द "ऐसी मंजूरी क्यों न दे दी जाये" के पूर्व तथा शब्द "वह यह हेतुक दर्शाये कि" के पश्चात् शब्द "तीस दिवस के भीतर" अन्तःस्थापित किया जाये।

धारा 8–क का संशोधन

5. मूल अधिनियम में, धारा 8–क की उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

"(1) "उक्त अधिनियम की धारा – 4(1) एवं धारा 21(3) की अनुसूचियों में निर्दिष्ट निकायों के लेखों की संपरीक्षा के संबंध में संचालक, राज्य संपरीक्षा का वार्षिक प्रतिवेदन राज्य सरकार (वित्त विभाग) को प्रस्तुत किया जाएगा."

अटल नगर, दिनांक 1 जून 2020

क्रमांक 4231/डी. 95/21–अ/प्रारू./छ.ग./20. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग का समसंख्यक अधिनियम दिनांक 1–6–2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 11 of 2020)

THE CHHATTISGARH STHANIYA NIDHI SAMPARIKSHA (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2020

An Act further to amend the Chhattisgarh Sthaniya Nidhi Samparik
sha Adhiniyam, 1973, (No.43 of 1973).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy-First Year of the Republic of India, as follows:-

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Sthaniya Nidhi Samparikhsa (Sanshodhan) Adhiniyam, 2020. **Short title, extent and commencement.**

(2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Chhattisgarh Sthaniya Nidhi Samparikhsa Adhiniyam, 1973, (No. 43 of 1973), (hereinafter referred to as the Principal Act),- **Amendment of the Principal Act.**

(i) in Section 1, for sub-section (1), the following shall be substituted, namely:-

"(1) This Act may be called the Chhattisgarh Rajya Sampariksha Adhiniyam, 1973."

(ii) for the words "Local Fund Audit", wherever they occur, the words "State Audit" shall be substituted.

Amendment of Section 2.

3. In the Principal Act, in Section 2,-

(i) in clause (a), after the words and punctuation "detailed audit,", the words and punctuations "Test audit, Pre-audit, Concurrent audit, Post audit, Forensic audit, Financial audit, Compliance audit, Risk based audit, Performance audit" shall be inserted; and

(ii) after clause (j), the following shall added, namely:-

"(k)"Test audit" means an audit of accounts for selected months/ duration and/or financial transaction and/or any schemes;

(l)"Pre-audit" means an audit before payment, withdrawal or adjustment out of a fund;

(m)"Concurrent audit" means an audit on the spot, either simultaneously with or soon after the making of payment, withdrawal or adjustment out of a fund;

(n) "Post audit" means an audit after making of payment, withdrawal or adjustment out of a fund, which is not concurrent audit but includes Detailed Audit and Test Audit;

(o)"Forensic audit" means an examination and evaluation of a firm's or authorities or individual's financial records to derive evidence that can be used in a court of law or legal proceeding;

(p) "Financial audit" means an independent and objective evaluation of an authority's financial reports and financial reporting processes;

(q) "Compliance audit" means a process of comprehensive review with the focus on the compliance of rules and regulations prescribed for an authority;

(r) "Risk based audit" means an audit style that focuses on the analysis and management of the risk of financial irregularities of an institution;

(s) "Performance audit" mean the assessment of the attainment of a body's programs, actions, operations, management systems and processes with the economy, efficiency and effectiveness of available resources;

(t) "Schedule" means the Schedules appended in this Adhiniyam;

(u) "Surcharge" means an amount for which the director makes a person liable for loss, waste, misapplication or misappropriation of any money or other properties due to his misconduct or delinquency;

(v)"Accounts" means financial transactions and all related records of an authority."

4. In the Principal Act, in Section 7,- **Amendment of Section 7.**

(1) in sub-section (1), for the words "five hundred rupees", the words "twenty five thousand rupees" shall be substituted; and

(2) in sub-section (3), before the words "why the sanction" and after the words "show cause", the words "within thirty days" shall be inserted.

Amendment of Section 8-A.

5. In the Principal Act, in Section 8-A, for sub-section (1), the following shall be substituted, namely:-

"(1) The annual report of the Director, State Audit, in relation to the audit of accounts of the bodies as referred in Schedules of sub-section (1) of Section 4 and sub-section (3) of Section 21 of the Adhiniyam shall be submitted to the State Government (Finance Department)."

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2020.